

31.1.2020 पञ्जावली पेश हुई। वादी अनुपस्थित।
वादी को आवाज लगावाई गई परन्तु वादी की
तरफ से कोई उपस्थित नहीं आया न ही
अनुपस्थिति का कोई कारण हमारे सम्मुख पेश
हुआ। अतः वाद अदम पेंखी अदम सजरी
में खारिज किया जाता है।

पञ्जावली बाद निठिय दायरा रजिस्टर
में से कम होकर दायिल दफ्तर है।

निठिय सुनाया गया।

(शंकेश कुमार-वाल)

सपखण्ड अधिकारी
श्रीदुर्गागढ़ (बाकागर)